भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



LGD Notification

Creation of New Village

Published By Proposed By Name Mohd.Salim Khan Name **BORTDRLR** Designation Deputy Registrar Land Record Designation Tehsildar Mobile no. 9461429781 Mobile no. 9461429781 IP Address IP Address 164.100.145.30 164.100.145.30 On date 23/04/2024 On date 23/04/2024

District Name Barmer

Sub District Name Barmer

Village Name (In English) Sauvon Ki Basti

Village Name (In Local language) सऊवों की बस्ती

Village Effective Date 20/09/2012

Village Status Inhabitant

How to Village is Formed? New Village Created by Existing Village.

CONTRIBUTED VILLAGES LIST

Village Code	Village Name	Coverage Type		
88193	Panchaniyon Ki Dhani	PART		

12096

राजस्थान—सरकार राजस्व(ग्रुप—1) विभाग

, 1(3, 1)

जयपुर,दिनांक :20-9-2012

क्रमांक:प.९(९४)राज. / ग्रुप-1 / 2012

LR V

:- अधिसूचना:-

1/10/12

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला बाडमेर की तहसील गुडामालानी के मूल राजस्व माम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—6 में अंकित मजरों / ढाणियों को एतदपश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या—8 के अनुसार होगाः—

क्र0सं	जिला/	मूल		जस्व ग्राम की	प्रस्तावित		वेत राजस्व	दूरीं किं0मी0में	मूल राजस्व
तहसील राजस्व		जनसंख्या /		राजस्व ग्राम	ग्राम की जनसंख्या		किंग्नावन		
P .		ग्राम का	क्षेत्रफल (हैक्टर में)		का नाम	क्षेत्रफल		- 1	ग्राम का
नाम ()					(हैक्टर में)			शेष रहा	
						530	*		क्षेत्रफल
								ħ	(हैक्टर में
		7.	जन	क्षेत्रफल		जन	क्षेत्रफल		1.1
			संख्या			संख्या			
1	2	3	. 4	5	6	7	8	9	10
1.	बाडमेर:/	पांचाणियों	936	996.0	सङ्गों की	419	360.00	3.0	636.0
	गुडामालानी	की ढाणी			बस्ती			18	
2.		बूढे का	725	1365.45	सारणों का	263	230.34	3.0	1135.11
		तला			सरा				
3.					मगे की ढाणी	256	351.51	5.0	783.60
4.		डाबड	1298	1098.48	मोटी ढाणी	536	527.95	3.0	570.53
5.		गोरामाणियों	959	1165.48	पीराणी	209	149.81	2.0	1015.67
	1	की ढाणी			मुसलमानों की			T. 40	
				10 10	ढाणी 🖈		5 77		* *

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, बाडमेर को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज—1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित

आज्ञा से,

शासन उप सचिद

1 1